



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, पोस्ट बॉक्स 4911, नई दिल्ली - 110 029
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN. ANSARI NAGAR. POST BOX 4911. NEW DELHI - 110 029

No. 16/61/2011-Admn.-II

Dated : 20.3.2012

OFFICE ORDER

Subject : Grant of financial assistance for adhoc projects to the scientists awarded Ramalingaswamy Re-entry Fellowship or any other National Fellowship offered by Agencies of Government of India - reg.

The Director General of the Council with the approval of Governing Body, ICMR has decided that

- (i) the financial assistance will also be provided through sanction of ad-hoc projects to the scientists awarded Ramalingaswamy Re-entry Fellowship or any other National Fellowship offered by Agencies of Government of India with the following conditions:-
 - (a) the Financial assistance for ad-hoc projects will be made available to the scientists working in the area of health research in recognized Indian institutions and will be permitted to apply for grant by such agencies.
 - (b) financial assistance would be considered, provided a regular serving scientists of the host institution is the Co-Principal Investigator of the project and head of concerned host institution has agreed to extend necessary facilities for running the project.
- (ii) retired scientist of universities, medical colleges, postgraduate institutions can also be sanctioned ad-hoc projects for funding provided a serving scientist-of the concerned institute is the Co-Principal Investigator of the project and head of the concerned institution has agreed to extend necessary laboratory facilities.
- (iii) it may also be ensured that the projects to be sanctioned to the scientists under such fellowship should not be for a very short period.

J.Pal

(Joginder Pal)

Asstt. Director General (Admn.)



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, पोस्ट बॉक्स 4911, नई दिल्ली - 110 029
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN, ANSARI NAGAR, POST BOX 4911, NEW DELHI - 110 029

सं० 16/61/2011-प्रशासन-11

दिनांक 1.3.2012

कार्यालय आदेश

विषय: भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा रामालिंगास्वामी पुनः-प्रविष्टि अध्येतावृत्ति या अन्य कोई दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति से पुरस्कृत वैज्ञानिकों को तदर्थ परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के संबंध में।

परिषद के महानिदेशक ने शासी निकाय के अनुमोदन से यह निर्णय लिया है कि:

i) भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा रामालिंगास्वामी पुनः - प्रविष्टि अध्येतावृत्ति या अन्य कोई दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति से पुरस्कृत वैज्ञानिकों को तदर्थ परियोजनाओं की मंजूरी द्वारा भी वित्तीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाएगी:-

क) स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों को तदर्थ परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तथा अनुदान के लिए ऐसी एजेंसियों द्वारा आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

ख) मेजबान संस्थान में नियमित रूप से कार्यरत वैज्ञानिक को परियोजना के सह-प्रधान अन्वेषक होने पर तथा चल रही परियोजना के लिए संबंधित मेजबान संस्थान द्वारा आवश्यक सुविधाएं देने पर ही वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

ii) विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, स्नातकोत्तर संस्थानों के सेवानिवृत्ति वैज्ञानिकों को भी वित्त पोषण के लिए तदर्थ परियोजनाओं की मंजूरी मिल सकती है बशर्ते संबंधित संस्थान का कोई सेवारत वैज्ञानिक उस परियोजना का सह-प्रधान अन्वेषक हो तथा, चल रही परियोजना के लिए संबंधित मेजबान संस्थान द्वारा आवश्यक सुविधाएं दिए जाने की सहमति हो।

iii) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी अध्येतावृत्ति के अंतर्गत वैज्ञानिकों के लिए मंजूर की जाने वाली परियोजनाएं कम अवधि की नहीं होनी चाहिए।

जोगिन्द्र पाल

(जोगिन्द्र पाल)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)